

Full Title of the Project:-RURAL WATER SUPPLY SCHEME VILLAGE SONKHARI

File No.:- FP/RJ/WATER/15016/2015

Date of Proposal:-

CHECK LIST SERIAL NUMBER: 16
SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the Forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from APCCF & Nodal Officer, FCA, Rajasthan, Jaipur for diversion (under FCA-1980) of 0.05 ha. of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for RURAL WATER SUPPLY SCHEME VILLAGE SONKHARI.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 17.01.2018

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is UNCLASSIFIED forest (UF) area of forest block Sonkhari range Laxmangarh a forest measuring Total 0.05 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

There is no rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area.

There is no protected archaeological/ heritage site/ defence establishment or any other important monument is located in the area.

(a) *The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.*

(b) **It has been found that the user agency has violated the Forest(Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached).**

(Note: Whichever of the above is applicable should be shown in bold letters)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

As per enclose annexures; it is evident that initially User Agency has not followed the due procedure of FCA and has been restricted to work further for it. Keeping the public welfare value of this project; if competent higher authorities allow and rectify the proposed; undersigned has no objection and recommends the project positively in lager public interest.

I recommend for acceptance the proposal in public interest.

Place :Alwar

Date:

Name **Dr.Shalabh Kumar**
Designation **Dy. CF, Alwar**

Office Seal

(डॉ० शलभ कुमार)
उप वन संरक्षक
अलवर (राज०)

2x 366
25-6-15

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिराव फूले सर्किल, नया बास अलवर, 301001 (राज0)

क्रमांक: एफ () / वी. आई.पी. / 2015-16 / उवसं / 49 43

दिनांक : 9/6/15

निमित्त,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,

लक्ष्मणगढ़

विषय:- जलदाय विभाग के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से पानी की टंकी का निर्माण रुकवाने के बावत् में।

सन्दर्भ:- मुख्यमंत्री कार्यालय विशेषाधिकारी से प्राप्त शिकायत उप वन संरक्षक (वन सुरक्षा) राजस्थान जयपुर का पत्रांक 188 दिनांक 29/05/15 से प्राप्त प्रकरण के अनुसरण में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके वन क्षेत्र ग्राम सौखरी, कठूकर में जलदाय विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है जो कि वनक्षेत्र में पहाड़ एवं पेड़ों को काट कर किया जा रहा है। जिसकी इस कार्यालय द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा इजाजत नहीं दी गयी है। उक्त निर्माण के विरुद्ध ग्रामवासी सौखरी तह0 कठूमर द्वारा माननीय वनमंत्री महोदय को शिकायत की गयी है।

आप तत्काल मौके पहुँचकर उक्त निर्माण कार्य को व्यक्तिशः मौका निरीक्षण कर वनक्षेत्र में कार्य होना पाया जाने पर तत्काल कार्य को रुकवाए एवं आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

भवदीय,

(पी0 डी0 गुप्ता)

उप वन संरक्षक

अलवर

काशीनगर क्षेत्रीय वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (राजगढ़)
दिनांक: - V.I.P. / 505 दिनांक: - 23-6-15

विषय: - वनपाल गाँव
में जंगल

विषय: - लक्ष्मणगढ़ विभाग के द्वारा वन क्षेत्र पर
अधिकृत रूप से पानी की रेंकी का निर्माण
करवाने का पत्र

प्रसंग: - उप वन विभाग के अलवर को पत्रांक 4343
दिनांक 9-6-15 के आधार पर।

उपरोक्त विषयवस्तु में प्राथमिक पत्र के संदर्भ में
लौकिकी मुख्यालय क्षेत्रीय विशेषाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा पत्र उप
वन विभाग (वन सुरक्षा) 210 अलवर को पत्रांक 198 दिनांक
29-5-15 पर प्रकाशित हुआ है। प्रकाश में वन क्षेत्र ग्राम
लौकिकी 240 अलवर में लक्ष्मणगढ़ द्वारा पानी की रेंकी का
निर्माण किया जा रहा है जो कि वन क्षेत्र में पहाड़ एवं पीड़ों के
कारण किया जा रहा है। जिसकी अनेक प्रतीक अनेक
राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास गरीये गये हैं। अनेक
अपने नामों से या पदुनकर अनेक कार्य की योजना
निर्माण कर वन क्षेत्र में कार्य होना प्रतीक पर अनेक
कार्य को करवाए एवं आवश्यक कार्य गरीये कर अनेक प्रयास
को करवाए जाये। अनेक अनेक अनेक उप वन विभाग
अलवर द्वारा बार-बार निर्देशित किया जा रहा है।

राजगढ़

र/म

(राजगढ़ मीठा)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राजगढ़

कार्यलय वनपाले माका प्रेषण

दि. 02. 7. 15

समाप्त J.P.T

निमित्त :- श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी

लक्ष्मणगढ

RR 402
2-7-15

विषय :- गात्र सौ कमी के अंति निर्माण कार्य बन्द करवा के
माका पंचनामा भेजने बाबत

महोदय

अप्रोक्त विषय अन्तगत निवेदन देवी गाम सोरवरी त्रिवासिये।
ने कि कावत की की की गाम सोरवरी के अंति निर्माण कार्य हो
रहा है मोके पर पहुचकर निर्माण कार्य बन्द करवा कर माका
पंचनामा प्रेषण कर श्रीमान् जी की सेवा मे धन्य है।

RUC

मा.
रु.
2-7-15

अवेदिप

चन्द्रपाल

सा. वनपाल

मैथला

आज दि. 14. 6. 15 को राम सोरवी के जमीनी द्वारा मोकै
 रूप को सोरवी में पानी की टंकी का निर्माण होने की शिकायत
 करने पर श्री चन्द्रपाल सा. वनपाल नाका मैक्का, श्री मन्मथ कलाल, श्री
 श्री नन्दन शर्मा - मोका द्वार मोकै पर पहुँचे 6 के द्वार द्वारा शर्मा में
 एक सिमन्टेड पाई का निर्माण कर के रखा गया पाया। हमारे द्वार
 मोकै पर ही टंकी निर्माण करने वाले 6 के द्वार को वनमन्मि में
 टंकी का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाखन्द किया गया एवं मोकै
 पर कार्यरत शर्मिका को भी वन विभाग को जमीन पर कार्य
 नहीं करने हेतु खान्द किया गया। मोकै पर ही कार्य करने वाले
 6 के द्वार एक शर्मिका द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया और मोकै पर पड़ी
 हुई निर्माण सामग्री, औजार, इत्यादि भरकर ले गये एवं कार्य पूर्णतः बन्द
 हो गया। मोकै पर किसी भी प्रकार के देह पावे एवं वनस्पति को नहीं काटा
 गया है। मोकै पर ही हमारे द्वारा जल दाय विभाग के अधिकारी को
 से दुरभाव पर सफाई किया गया एवं जल दाय विभाग के अधिकारी को
 को वन मन्मि पर पानी की टंकी का निर्माण नहीं करने हेतु निकट कि पा
 गया। जल दाय विभाग के अधिकारी को द्वार दुरभाव पर ही वन विभाग
 कि शर्मा पर टंकी का कार्य विरुद्ध में निर्माण नहीं करने का
 आसवासन दिया गया मोकै पर टंकी का कार्य पूर्णतः बन्द होने एवं निर्माण
 सामग्री उठाकर ली जाये कि उ परान्त वन शर्मा पर कार्य बन्द करवाया गया
 मोकै पर मोका पंचनामा प्रेषण कर के उपरिष्ठ पंचनाम को पठाया मुद्रा
 एवं साक्षित होने पर वन विभाग द्वारा किया गया।

मोकै
 नन्दन शर्मा
 मोकै
 चन्द्रपाल
 सा. वनपाल

भौतिक-चक्रण

ग्राम सौरवकी के ग्राम वासियों द्वारा दो बारा वन क्षेत्र पर सौरवकी के पहले
 वाला स्थान छोड़ कर अगले दूसरी जगह पर टकी का निर्माण करने वालों को
 कि जिस कार्य करने पर आज दि 20-6-15 को मैं चन्द्रपाल सा. व. न. पाल
 ना. का प्रेषण, श्री म. क. व. न. म. ल. का. र्ण. श्री नन्दन शर्मा जी की द्वार ग्राम वासियों
 द्वारा जो जगह जो दूसरी टकी के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पहुँचे मैंने पर
 किसे भी प्रकार का निर्माण कार्य, निर्माण कार्य होने की शर्तों विधि या स्व
 निर्माण कार्य में उपचार लेने वाली सामग्री नहीं मिली है। उपस्थित ग्रामीणों को
 दरबन्दा रूप में मौजूद है उन के समक्ष मौजूद देखा गया। मैंने पर
 प्रिसीजी प्रकार का निर्माण कार्य कराने की शर्तों विधि नहीं
 मिली। अतः यह शिकायत मुझे पर सुनी सिद्ध होती है। अस्तित्व ग्रामियों
 के धन-संपत्ति पर हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है। उपस्थित ग्रामीणों ने
 ग्राम में आपसी विवाद होने का अन्वेषण जसा एक हस्तक्षेप नहीं करने हेतु
 साफ़ बतवै। मैं इनकार कर दिया। मैंने पर मैंने प्रेषण ना. व. न. पाल
 सदस्य को पठाया सुनाया एवं सर्व सम्बन्धित होने पर बनेर साही हस्तक्षेप करीकरी

मोहर

नन्दन शर्मा

मोहर
 चन्द्रपाल
 श्री. व. न. पाल
 प्रेषण

विषय: - श्रीमान उपवन लेखक महो
अलवर

विषय: - जलसम विभाग के द्वारा वन विभाग की
श्रमि पर अवैध रूप से पानी की टंकी का
निर्माण करवाने के लिए है।

पुनरा: - आपका पत्रांक एम () वी. आर्. जी. /
2015-16 / उपन / 4943 दिनांक 9-6-15
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वये प्रांतीय पत्र के मध्य में
निर्माण के लिए वन क्षेत्र प्राण लोभारी, कलुहा में जलसम विभाग
द्वारा पानी की टंकी का निर्माण पहाड़ों पर के आसपास
किये जाने की शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई
का विवरण निम्न प्रकार श्रीमान की दि. लेख में सूचना दी
गई है।

(1) उक्त शिकायत के सम्बन्ध में दिनांक 11-6-15 को मौके
पर डिवीजनल द्वारा शरी में एक टीम का निर्माण करवाया
जा सिला। मौके पर ही डिवीजन को वन श्रमि पर टंकी निर्माण
का प्रमाण नहीं करने हेतु कथन किया गया एवं श्रमि पर कार्य कर
कार्रवाई को भी वन विभाग की श्रमि पर कार्य नहीं करने हेतु
कथन किया गया। तब मौके वहाँ डिवीजन द्वारा श्रमि वन्य
कर किया गया तथा मौके पर पूरी निर्माण लाकड़ी, आजाप
इत्यादी को डिवीजन पर का ले गया एवं कार्य पूर्णतया कर
होगा। मौके पर किसी प्रकार का पहाड़ व पहाड़ों को भी
कार्रवाई है। जलसम विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही
सूचना देना सम्बन्ध जल वन विभाग की श्रमि पर
टंकी निर्माण नहीं करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। जलसम
विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही सूचना पर वन विभाग
की लगी पर टंकी का निर्माण नहीं करने को आश्वासन
दिया गया। कार्य पूर्णतया कर्य ही पर पंचतमा मौके
पर बनाया गया जो लक्षण है (11-6-15)

(2) राम लोभारी में पहले वाले लक्षण को ही डिवीजन द्वारा
जगह पर टंकी बनाने की शिकायत राम लोभारी द्वारा
की गई। इस सम्बन्ध में राम लोभारी द्वारा वन्य
लक्षण पर दिनांक 20-6-15 को अधिनियम द्वारा

कर्मों में लक्ष्य का सुझावना किया गया। पत्रों में
 जोड़े पर किसी भी प्रकार का ऐसी निर्माण कार्य
 नहीं किया गया। अतः इसी प्रकार की यह शिवालय
 नहीं बन रहा है। अतः जो भी पत्रनामा बनाया
 गया जो पत्र के माध्यम से लक्ष्य का सुझावना
 किया गया। अतः जो भी पत्रनामा 20-6-15।

(3) आज दिनांक 2-7-15 को अधीनस्थारक्षी द्वारा
 अतिरिक्त कार्य के माध्यम से जोड़े की वन भूमि पर
 जोड़े का पत्र से ऐसी निर्माण की शिवालय का माध्यम
 निर्माण किया गया। जोड़े पर किसी भी प्रकार का
 निर्माण कार्य नहीं किया है एवं जोड़े की वन भूमि
 ही दिनांक 11-6-15 को कार्य करने के बाद जोड़े आज
 दिनांक 2-7-15 को कार्य नहीं हुआ है एवं जोड़े का कार्य ही

अतः जोड़े का सुझावना एवं जोड़े का कार्य ही
 ही का पत्र उभर है।

निष्कर्ष:

(1) जोड़े पत्रनामा
 11-6-15

(2) जोड़े पत्रनामा
 20-6-15

राजीव

राजा

(राजेश मीना)

क्षेत्रीय वन अधिकारी

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज0

कार्यालय कन्याल बाका, गैरागा

क.सं.क. ३.पी.ई

दि.

विभाग - श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी

लखनऊ ६

विषय :- ग्राम सौरवरी में नतीन टकी निर्माण पर्याप्त वन भूखे

महोदय

उपरोक्त विषय अर्थात् निर्माण हेतु आपकी

गोपनीय आदेश अ.क्र. ५७५४ ग्राम सौरवरी में नतीन टकी निर्माण

पर्याप्त वन भूखे का मैं का पत्र नाम वगैरै न कदाही देकर
कर श्रीमान जी की सेवा में पेश है

महोदय

— लक्ष्मण

सा.क.पात

मैचल

कामोच्च अश्रीधर वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

दिनांक :-

659

दिनांक :- 9-7-15

निर्देश :- श्रीमान उष वन निरक्षर प्रसि 0
अलवर

विषय :- ग्राम शारवरी में पगडी वट वृक्ष निर्दिष्ट
100 विघा लीटर क्षमता के पान नली
लेना प्रथम क्षमता 935 विघा लीटर क्षमता
के नक्का व है।

उपरोक्त नक्का और प्रमाण दिनांक 4-7-15
के अन्तर्गत है।

प्रति,
श्रीमान

उपरोक्त विषयवस्तु निर्दिष्ट है कि ग्राम के
निरीक्षण द्वारा दिनांक 4-7-15 के अन्तर्गत अलवर करीब
कामोच्च अश्रीधर वन अधिकारी, जय शंकर वन अधिकारी
विभाग शारवरी, राजापुर के पत्रांक 1101 दिनांक 01-7-15 की
प्रति के इस ध्ये गये निर्देशों के पालना में उक्त नक्का
श्रीमान पंचनाम नजीबुल्ला की फोटो संलग्न कर सुपुनर्गत
एवं आवक्यक कार्यवाही हेतु उचित है।

उपरोक्त दस्तावेज पर विषय की पुनरावेदन के फोटो
एवं वनस्पति वही है जगह शारवरी है एवं वन अश्री शारवरी
में आरक्षित है।

निर्देश :-
(1) श्रीमान पंचनाम
(2) नजीबुल्ला
(3) PHED राजापुर का
पत्रांक 1101
01-7-15

कामोच्च

व/म

(राजधन प्रीत)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज 0

आज दिनांक 6.7.15 को हमारे ही चन्द्रपाल सा वनपाल
 नाका मंचना श्री लक्ष्मण लाल के गौका मंचना श्री लक्ष्मण लाल
 की इस नाका मंचना रूप श्री राम सहाय की रर । जलदायक गात्र
 लक्ष्मण लाल साव लेकर श्रीमान उपवन सारहाक अलवर रूप श्रीमान
 क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मण लाल के गौका मंचना आदेश अनुसार काम
 मोगरी की वन भूमि पर पुस्तकित भूमि की रकी निर्माण स्वाम
 औ पुस्तकी 35 वर्ष पहले पुरानी रकी वनी हुई के पास ही का गौका
 गु आयना किया जाकर देखा गया कि गौके पर पुस्तकित स्वाम
 गता ली गौका पहाड़ी पर है जो वन भूमि मोगरी में आ रहा है
 गौके पर पुस्तकित स्वाम पर किसी भी प्रकार के लेखों
 रूप वन सम्पत्ति नहीं है । जगह गता ली है गौके पर मंचनामा
 बनाया जाकर उपलब्ध मंचनामा पहाया मुजाया गया व
 साई तस्वीर लेने पर वन भूमि सादी हस्ताक्षरित राजीव ।

श्रीमान
 लक्ष्मण
 P.M.E.D. लक्ष्मण

मंचना
 चन्द्रपाल

श्रीमान
 चन्द्रपाल
 नि. 0744
 मंचना

C.S.
 श्रीमान
 (राजधन श्रीमान)
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 लक्ष्मणगढ (अलवर) राज0




समय: 11 A.M

दि. 6.9.15

स्थान: धुलावित नदी किनारी

दि. 2 की वन भूमि क्षेत्र



संकेत:

- 1. मुख्य रोड ==
- 2. कच्चा शाफ्ट)
- 3. पुरानी टंकी धुलावित नदी की टंकी -
- 4. शिवजी का मन्दिर
- 5. महाड :-

राज्य
पिंडर
PHED

नदन (अ.स.म.)
चौकीदार

अवादीप
चन्देवपाले
मि. नवपाल
सुबान

मन्त्रालय
राज्य

C.S.
(राजपुत्र रीत)
संशोधन वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज.0